

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 592]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2011—पौष 9, शक 1933

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ-23-38/2007/पैटीस - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक	1	मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा सेवाएं, प्रथम श्रेणी	37400-67000 +10000	-
2	अपर संचालक	2	तदैव	37400-67000 +8700	-
3	संयुक्त संचालक	21	तदैव	15600-39100+7600	-
4	उप संचालक/सिविल सर्जन पशु चिकित्सा /पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी,	200	तदैव	15600-39100 +6600	-
5	सहायक संचालक/पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	1173	मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा सेवाएं, द्वितीय श्रेणी	15600-39100 +5400	-
6	सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक संचालक सांख्यिकीय	17	तदैव	9300-34800 +4200	-
7	प्रशासनिक अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी	3	तदैव	9300-34800 +4200	-
8	खाद्य विश्लेषक	1	तदैव	9300-34800 +4200	-
9	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	4	तदैव	9300-34800 +4200	-
10	जन संचार तथा दृश्य श्रव्य अधिकारी	1	तदैव	9300-34800 +4200	-

(2) अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात :-
अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिए)

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भरती	सेवा के मूल सदस्यों को पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से कर्मचारियों के स्थानान्तरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पशु चिकित्सा विभाग	संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, मध्य प्रदेश	1	—	100 प्रतिशत	—
2	तदैव	अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	2	—	100 प्रतिशत	—
3	तदैव	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ	21	—	100 प्रतिशत	—
4	तदैव	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ/सिविल सर्जन पशु चिकित्सा/पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	200	—	100 प्रतिशत	—
5	तदैव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/सहायक संचालक	1173	98 प्रतिशत	2 प्रतिशत	—
6	तदैव	सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक संचालक सांख्यिकीय	17	—	100 प्रतिशत	—
7	तदैव	प्रशासनिक अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी	3	—	100 प्रतिशत	—
8	तदैव	खाद्य विश्लेषक	1	—	100 प्रतिशत	—
9	तदैव	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ	4	—	100 प्रतिशत	—
10	तदैव	जनसंचार तथा दृश्य श्रव्य अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत	—

(3) अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात :-

अनुसूची-तीन
(नियम-6 देखिए)

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पशु पालन विभाग	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	21 वर्ष	35 वर्ष	भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (1984 का 52) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो

(4) अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात :-

अनुसूची-चार
(नियम-14 देखिए)

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	पदोन्नति के लिये न्यूनतम सेवा	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पशु चिकित्सा विभाग	अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं	2 वर्ष	संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं	1. मुख्य सचिव- अध्यक्ष 2. कृषि उत्पादन आयुक्त- सदस्य 3. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग- सदस्य 4. अपर सचिव/उप सचिव, पशुपालन विभाग - समन्वयक
2	तदैव	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं	3 वर्ष	अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. कृषि उत्पादन आयुक्त- सदस्य 3. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग- सदस्य 4. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं - सदस्य
3	तदैव	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं/ सिविल सर्जन, पशु चिकित्सा/ पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	5 वर्ष	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग- सदस्य 3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं - सदस्य

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	पदोन्नति के लिये न्यूनतम सेवा	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	तदैव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ / सहायक संचालक	15 वर्ष	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं / सिविल सर्जन, पशु चिकित्सा / पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पशुपालन विभाग- सदस्य 3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं - सदस्य
5	तदैव	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	5 वर्ष	सांख्यिकीय अधिकारी / सहायक संचालक सांख्यिकीय	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पशुपालन विभाग- सदस्य 3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं - सदस्य
6	तदैव	अधीक्षक	5 वर्ष	प्रशासनिक अधिकारी / लेखा परीक्षा अधिकारी / लेखा अधिकारी	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पशुपालन विभाग- सदस्य 3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं - सदस्य
7	तदैव	विपणन निरीक्षक	5 वर्ष	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव / सचिव, पशुपालन विभाग- सदस्य 3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं - सदस्य

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	पदोन्नति के लिये न्यूनतम सेवा	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	तदैव	प्रचार सहायक	5 वर्ष	जन संचार तथा दृश्य श्रव्य अधिकारी	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य— अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग— सदस्य 3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं — सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. अहिरवार, उपसचिव.

Bhopal, dated 30th December 2011

No. F 23-38/2007/35- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Veterinary Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1966, namely –

[1] For schedule I, the following schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-I

(See Rule-5)

S.N. (1)	Name of post included in the service (2)	No. of posts (3)	Classification (4)	Scales (5)	Remarks (6)
1	Director	1	Madhya Pradesh Veterinary Services, Class I	37400-67000 +10000	
2	Additional Director	2	do	37400-67000 +8700	
3	Joint Director	21	do	15600-39100 +7600	
4	Deputy Director/ Civil Surgeon Veterinary/ Animal Breeding Programme Officer	200	do	15600-39100 +6600	
5	Assistant Director/ Veterinary Assistant Surgeon Veterinary Services. Veterinary Extension Officer	1173	Madhya Pradesh Veterinary Services, Class II	15600-39100 +5400	
6	Statistical officer / Assistant Director Statistics	17	do	9300-34800 +4200	
7	Administrative officer/ Audit officer/ Accounts officer	3	do	9300-34800 +4200	
8	Feed analytics	1	do	9300-34800 +4200	
9	Assistant registrar cooperative societies	4	do	9300-34800 +4200	
10	Mass Communication and audio Visual Officer	1	do	9300-34800 +4200	

(2) For Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-II

(See Rule-6)

S.N.	Name of department	Designation	Total no. of duty posts	Percentage of the number of duty post to be filled in		
				By Direct recruitment	By Promotion of substantive member of the service	Transfer of persons from other service
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Department of Veterinary Services,	Director, Veterinary Services, Madhya Pradesh	1	-	100 percent	-
2	-do-	Additional Director, Veterinary Services,	2	-	100 percent	-
3	-do-	Joint Director, Veterinary Services,	21	-	100 percent	-
4	-do-	Deputy Director, Veterinary Services, /Civil Surgeon, Veterinary/ Animal Breeding Programme Officer	200	-	100 percent	-
5	-do-	Veterinary Assistant Surgeon/Assistant Director	1173	98 percent	2 percent	-
6	-do-	Statistical officer/ Assistant Director Statistics	17	-	100 percent	-
7	-do-	Administrative officer/ Audit officer /Accounts officer	3	-	100 percent	-
8	-do-	Feed analytics	1	-	100 percent	-
9	-do-	Assistant registrar cooperative societies	4	-	100 percent	-
10	-do-	Mass Communication and audio Visual Officer	1	-	100 percent	-

(3) For Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-III

(See Rule-6)

S.N. (1)	Name of the department (2)	Name of service (3)	Minimum Age (4)	Maximum Age (5)	Educational Qualification Prescribed (6)
1	Department of Veterinary Services	Veterinary Assistant Surgeon	21 years	35 Years	A Graduate in Veterinary Science From Recognised University or Institution of India and registered under Indian Veterinary council Act, 1984 (No.52 of 1984)

(4) For Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-IV

(See Rule-14)

S.N.	Name of the department	Name of service or Post from which promotion is to be made	Minimum service experience for promotion	Name of service or post to which promotion is to be made	Name of members of the departmental committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Department of Veterinary Services	Additional Director, Veterinary Services	2 years	Director Veterinary Services	1. Chief Secretary - Chairman 2. Agriculture Production Commissioner - Member 3. Principal Secretary/Secretary, Department of Animal Husbandry - Member 4. Additional Secretary/Deputy Secretary, Department of Animal Husbandry - Coordinator
2	-do-	Joint Director, Veterinary Services	3 years	Additional Director, Veterinary Services	1. Chairman of Public Service Commission or nominee of the Chairman- Chairman 2. Agriculture Production Commissioner - Member 3. Principal Secretary/Secretary, Department of Animal Husbandry - Member 4. Director, Veterinary Services- Member
3	-do-	Deputy Director, Veterinary Services/Civil Surgeon, Veterinary/Animal Breeding Programme Officer	5 years	Joint Director, Veterinary Services	1. Chairman of Public Service Commission or nominee of the Chairman- Chairman 2. Principal Secretary/Secretary, Department of Animal Husbandry - Member 3. Director Veterinary Services- Member
4	-do-	Veterinary Assistant Surgeon/Assistant Director	15 years	Deputy Director, Veterinary Services/Civil Surgeon, Veterinary/Animal Breeding Programme Officer	1. Chairman of Public Service Commission or nominee of the Chairman- Chairman 2. Principal Secretary/Secretary, Department of Animal Husbandry - Member 3. Director, Veterinary Services- Member
5	-do-	Assistant Statistical officer	5 years	Statistical officer /Assistant Director Statistical	1. Chairman of Public Service Commission or nominee of the Chairman - Chairman 2. Principal Secretary/Secretary, Department of Animal Husbandry - Member 3. Director, Veterinary Services- Member 4.

6	-do-	Superintendent	5 years	Administrative officer /Audit officer /Accounts officer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman of Public Service Commission or nominee of the Chairman- Chairman 2. PrincipalSecretary /Secretary, Department of Animal Husbandry - Member 3. Director, Veterinary Services- Member
7	-do-	Marketing Inspector	5 years	Assistant registrar cooperative societies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman of Public Service Commission or nominee of the Chairman- Chairman 2. PrincipalSecretary /Secretary, Department of Animal Husbandry - Member 3. Director, Veterinary Services- Member
8	-do-	Publicity Assistant	5 years	Mass Communication and audio Visual Officer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman of Public Service Commission or nominee of the Chairman- Chairman 2. PrincipalSecretary /Secretary, Department of Animal Husbandry - Member 3. Director, Veterinary Services- Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.

R. R. AHIRWAR, Dy. Secy.